




आरखण्ड सरकार

(मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें)
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(कार्मिक कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के आलोक में लोक सभा चुनाव 2019 हेतु पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर्मियों का दिनांक 22.03.2019 से 27.03.2019 तक स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय चाईबासा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कतिपय कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिनको चिन्हित करते हुए कारण पृच्छा किया गया है, स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के सुसंगत नियमों के तहत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर्मियों को सूचित किया जाता है कि आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निश्चित रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 एवं भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक:- 41 / ~~स्था~~ _{का}, चाईबासा, दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि:- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को निर्देश दिया जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति को कम से कम तीन स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

✓ प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को निर्देश दिया जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति को जिला के वेबसाईट में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।